

परियोजना का नाम :- शा0संख्या -1754/111/-(2)/5-64(प्रा0आ0)/05 दिनांक 10/11/05 दिनांक 10/11/05 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के ग्राम विसोगिलानी से उटैल होते हुये थैना मन्दिर होकर काहा नेहरा पुनाहा तक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। कि०मी० 1 से 4.700 तक।

प्रतिवेदन

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत ग्रामो को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया हैं। उक्त के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक :- 1754/111/-(2)/5-64(प्रा0आ0)/05 दिनांक 10/11/05 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

यह समरेखण ग्राम **उटैल थैना** (स्थानीय जनता) के लिये निकटतम मार्केट पहुँचने हेतु बाईपास की तरह प्रयोग किया जायेगा, जिससे ग्रामीणों को लगभग 27 किमी० कम चलकर अपने फसलो को विक्रय हेतु नजदीकी मार्केट पहुँचाने में सुविधा होगी, एवं ढुलान आदि में होने वाला खर्च भी कम होगा। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहाँ युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

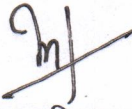
उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि 1.225 है०, सिविल सोयम भूमि 0.315 है० एवं वन पंचायत भूमि 1.750 है०, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, एवं आरक्षित वनभूमि 0.000 है, भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। तथा यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु वृक्षों की गणना 7 मीटर में की गई है जो की वास्तविक रूप से पातन किये जाने है। मोटर मार्ग का निर्माण 6 मीटर में होना प्रस्तावित है। विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

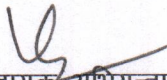
संरेखण नं० 1 :- के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत प्रस्तावित समरेखण कालसी-बैरठ खाई मोटर मार्ग के 14 किमी० से प्रारम्भ होता है तथा 4.700 किमी० चलकर ग्राम **उटैल थैना** पर समाप्त होता है। इस संरेखण में 5 हेयर पिन बैंड प्रस्तावित हैं। महासू देवता मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसके दर्शन हेतु दूर-दूर से लोग आते हैं परन्तु पैदल मार्ग अधिक चढ़ाई एवं लम्बा होने के कारण श्रद्धालुओं के लिये दर्शन कठिन हो जाता है , परन्तु मार्ग के निर्माण से पर्यटन को बढ़ोतरी मिलेगी तथा दर्शन हेतु यात्रा सुगम हो जायेगी इस संरेखण में अधिकतर वन पंचायत भूमि के अतिरिक्त बीच - बीच में सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित कम होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं।

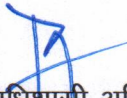
संरेखण नं० 2 :- के अनुसार यह समरेखण 1 की भाँति समरेखण कालसी-बैरठ खाई मोटर मार्ग के 13 किमी० से प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में क्रम: ग्रेड-20,लेवल,+18,-20, लेवल ग्रेड दिये गये हैं, इस समरेखण में 6 हेयर पिन बैंड प्रस्तावित है, तथा ल० 5.000 कि०मी० है। इस समरेखण से स्थानीय जनता

असहमत है, चूँकि समरेखण की ल० अधिक है, इस समरेखण में वन भूमि, नाप भूमि, सिविल भूमि की भी अधिकता है जिस कारण भी स्थानीय जनता असहमत। अतः तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं० 2 को निरस्त कर संरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं०1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 4.700 कि०मी० लम्बाई में लो०नि०वि० के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई में आने वाली सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि 2.065 है० लो०नि०वि० को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०, सहिया


सहायक अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०, सहिया


अधिसासी अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०, सहिया